झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 30.03.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन स0वि0स0	लातेहार जिलान्तर्गत महुआडॉड़ प्रखण्ड के नेतरहाट पंचायत के ग्राम सिरसी से ग्राम बराड़ी होते हुए महुआडॉड़ प्रखण्ड आवागमन के लिए सिरसी नदी पर पुल न होने के कारण हजारो आम जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः सिरसी नदी में पुल शीघ्र निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास
02-	सर्वश्री रवीन्द्र नाथ महतो नलिन सोरेन एवं श्री योगेन्द्र प्रसाद स0वि0स0	जामताड़ा जिलान्तर्गत नाला, कुण्डहित एवं फतेहपुर स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद के अनुसार चिकित्सक पदस्थापित नहीं रहने से वहाँ के मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा चिकित्सा के अभाव में सही रूप से चिकित्सा नहीं होने से कुछ अत्यंत गरीब मरीज वहीं दम तोड़ देते है क्योंकि गरीबी के चलते राज्य के बाहर चिकित्सा कराने में असमर्थ रहते है। अतः उक्त सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों में सृजित पद के अनुसार चिकित्सकों को पदस्थापित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
03-	सर्वश्री राम कुमार पाहन, अनन्त कुमार ओझा एवं श्री रघुनन्दन मण्डल स0वि0स0	राँची जिला के प्रमुख पर्यटक स्थल हुडरू फॉल में पार्किंग शेड, गाडवाल एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य जारी है। उक्त निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा अभियन्ता एवं विभागीय पदाधिकारियों की मिली भगत से इस कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। बाउण्ड्री वॉल में साईज बॉलडर के स्थान पर छोटे-छोटे पत्थर या रेवाली का प्रयोग किया जा रहा है, सिमेंट की मात्रा भी कम दिया जा रहा है और साथ ही मजदुरों को 160 रू0 प्रति मजदुरी दिया जा रहा है। निर्माण स्थल पर बोर्ड तक लगा हुआ नहीं जिससे पता नहीं चलता की कौन संवेदक द्वारा काम किया जा रहा है एवं निर्माण कार्य की प्राकलित राशि क्या है ? अतः उक्त स्थल पर हो रही अनियमितताओं को दुर करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पर्यटन
04-	श्री अमित कुमार स0वि0स0	भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा वर्ष 2005 एवं वर्ष 2013 द्वारा अद्यतन प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य में आरक्षित वन (आर0एफ0) 4387, सुरक्षित वन (पी0एफ0) 19,185 एवं अवर्गीकृत वन (यु0एफ0) 33 अर्थात कुल वन क्षेत्र 23,605 वर्ग कि0मी0 है। जबकि वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित वर्ष 2003-04 एवं 2008-09 में वन भूमि 23605.49 वर्ग कि0मी0 था तथा वर्ष 2009-10 मे 22937.49 वर्ग कि0मी0 वन भूमि दर्शायी गयी। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन के अनुसार झारखण्ड राज्य के वन भूमि में कोई अंतर नहीं है, परन्तु वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अद्यतन प्रतिवेदन (2003-04, 2008-09, 2009-10) में कुल वन भूमि 667.98 वर्ग कि0मी0 का ह्रास हुआ है। अतएव मैं झारखण्ड राज्य की वन भूमि में हुए ह्रास के लिए दोषियों पर कार्रवाई हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	वन एवं पर्यावरण

01.	02.	03.	04.
05-	श्री विकास कुमार मुण्डा स0वि0स0	झारखण्ड के परियोजना विद्यालयों के शिक्षकों के नियमितीकरण एवं वेतन भुगतान के संबंध में न्यायालय के निर्णय तथा मानव संसाधन विकास विभाग के श्री R.N. Tripathi, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखण्ड की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा राज्य सरकार को अनुशंसा की गई थी। किन्तु अभी तक राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षकों के नियमितीकरण एवं वेतन भुगतान की कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण शिक्षक भूखो मरने को मजबुर है। मैं परियोजना विद्यालयों के शिक्षकों के नियमितीकरण एवं वेतन भुगतान कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	मानव संसाधन विकास

राँची
दिनांक- 30 मार्च, 2015 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1790/वि0स0,राँची,दिनांक- 29/3/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ग्रामीण विकास विभाग/ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ पर्यटन विभाग /वन एवं पर्यावरण विभाग एवं मानव संसाधन विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/15
(छोटेलाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0प्र0 एवं अना0प्र0-02/2015-1790/वि0स0,राँची,दिनांक- 29/3/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

29/3/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

29.03.15